न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./35/2024

1. नन्दराम पुत्र रामकरण
2. निरमा पुत्री श्रीकिशन
3. पूजा पुत्री श्रीकिशन
4. प्रेम पत्नी स्व0 रामकरण
5. लीला पत्नी स्व0 परमेश्वर(फौती वारिसान परमेश्वर)
6. सुनीता पुत्र स्व0 परमेश्वर(फौती वारिसान परमेश्वर)
7. मीरा पुत्री स्व0 परमेश्वर(फौती वारिसान परमेश्वर)
8. राजेन्द्र पुत्र स्व0 परमेश्वर(फौती वारिसान परमेश्वर)
9. छोटू पुत्र स्व0 परमेश्वर(फौती वारिसान परमेश्वर)
10. शिवसिंह पुत्र स्व0 परमेश्वर(फौती वारिसान परमेश्वर)
11. फुला पुत्री श्रीकिशन
12. महावीर पुत्र श्रीकिशन
13. विमला पत्नी स्व0 श्रीकिशन सभी जातिगण दरोगा निवासीगण सिंगावल तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. शंकर सिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–15.05.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवचरण चौधरी
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा सिंगावल पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 645 में दर्ज खसरा नं. 2388 रकबा 0.25 तथा खसरा नं. 2389 रकबा 0.30 कुल किता 02 कुल रकबा 0.55 हैक्ट जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम सिंगावल के खाता संख्या 645 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा सिंगावल पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 645 में दर्ज खसरा नं. 2388 रकबा 0.25 तथा खसरा नं. 2389 रकबा 0.30 कुल किता 02 कुल रकबा 0.55 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार गोयदन-वाड़ा को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)